(अरुण कुमार त्यागी, जे.)

अरुण कुमार त्यागी से पहले, जे.

बिमला देवी एलियास निरमाला-अपीलार्थी

बनाम

पेरिस एलियास सोनू और अन्य-उत्तरदाता

का एफ. ए. ओ. **No.6214** ऑफ **2011**

12 मार्च, 2019

ए. मोटर वाहन अधिनियम, **1988-S.166-**माता-पिता संतान संघ, अंतिम संस्कार और संपत्ति के खर्च के नुकसान के हकदार हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, मृतक के दावेदार-माता-पिता दोनों मामलों में संपत्ति के नुकसान के लिए क्रमशः समान शेयरों में Rs.28,000/-, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.10,500/- और Rs.10,500/- के मुआवजे के हकदार होंगे।

(पैरा 12)

बी. मुआवजे पर देय ब्याज **9** प्रतिशत प्रति वर्ष है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त संदर्भित न्यायिक उदाहरणों में टिप्पणियों, प्रचलित ब्याज की वाणिज्यिक दर, सावधि जमा प्राप्तियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमत ब्याज दर और अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को संशोधित करके 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करना उचित होगा।

(पैरा 13)

कर्तार सिंह मलिक, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

नवीन नंदल, राजेश बंसल के अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता। तेजिंदर के. जोशी, अधिवक्ता

प्रतिवादी No.3-Insruance कंपनी के लिए।

अरुण कुमार त्यागी, जे।

(1) यह आदेश 'बिमला देवी' शीर्षक वाले एफ. ए. ओ.-6214-2011 का निपटारा करता है।

उर्फ निर्मला बनाम परियास उर्फ सोनू और अन्य 'और एफएओ-6215 -

2011 मृतक की मां बिमला देवी उर्फ निर्मला-कृष्ण और बिंदर ने मुआवजे में वृद्धि के लिए 'बिमला देवी उर्फ निर्मला बनाम परियास उर्फ सोनू और अन्य' शीर्षक से याचिका दायर की है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

2009 के एम. ए. सी. टी. मामले संख्या 34 में विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पानीपत (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा 'बिमला देवी उर्फ निर्मला और एक अन्य बनाम प्रयास उर्फ सोनू और अन्य' शीर्षक से पारित सामान्य निर्णय दिनांक 18.03.2010 को पारित किया गया और 2009 की संख्या 35 के एम. ए. सी. टी. मामले में 'बिमला देवी उर्फ निर्मला और एक अन्य बनाम प्रयास उर्फ सोनू और अन्य 14.04.2009 को ही मोटर वाहन दुर्घटना मे घायल होने के कारण कृष्ण और बिंदर की मोटर वाहन दुर्घटना में हुई चोटों के कारण मृत्यु के कारण पारित किया गया।

(2) दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में 'एम. वी. अधिनियम') के तहत इन सामान्य तथ्यों पर उपरोक्त दावा याचिकाएं दायर कीं कि 14.04.2001 मृतक-कृष्ण और बिन्दर पानीपत से गाँव गढ़ी सिकंदरपुर की ओर अपनी साइकिल पर जा रहे थे। जब वे प्रत्यर्थी संख्या 2 के स्वामित्व वाले और प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ बीमाकृत पंजीकरण नंबर 1 वाले ट्रक गढ़ी सिकंदरपुर गांव के पास पहुंचे, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तेज और लापरवाही से चलाए गए ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे कृष्ण और बिंदर को चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन, पानीपत में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279 और 304-ए के तहत प्राथमिकी नं 134/14.04.2009 को दर्ज की गई थी। कृष्ण की आयु लगभग 9 वर्ष और बिंदर की आयु लगभग 14 वर्ष थी और वे दोनों क्रमशः तीसरी और छठी कक्षा के छात्र थे। स्वयं को मृतक का कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए, दावेदार-माता-पिता ने दोनों याचिकाओं में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के

खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से लागत और ब्याज के साथ रु. 6,000,00 के मुआवजे के पुरस्कार के लिए प्रार्थना की।

(3) नोटिस पर, याचिकाओं को प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती दी गई थी। दोनों याचिकाओं में अपने लिखित बयानों में उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने दुर्घटना और अपने दायित्व से इनकार करते हुए कहा कि ट्रक का प्रतिवादीगण संख्या 3 के साथ बीमा किया गया था। दोनों याचिकाओं में अपने लिखित बयानों में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के बारे में आपत्तियां लीं और याचिकाओं में किए गए भौतिक कथनों का खंडन किया और अपने दायित्व से इनकार किया।

(4) न्यायाधिकरण ने मुद्दों को तैयार किया और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को दर्ज किया। अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन और पक्षकारों के विद्वत वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने पर न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि कृष्ण और बिंदर की मृत्यु प्रतिवादीगण संख्या HR67A2220 द्वारा पंजीकरण वाले ट्रक को लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना में हुई चोटों के कारण हुई और दावेदार अपनी मृत्यु के लिए उत्तरदाता संख्या 1 से 3 से संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे की वसूली करने के हकदार थे।

न्यायाधिकरण ने बिमला देवी एलियास निरमाला बनाम पेरिस एलियास सोनू और अन्य को सम्मानित किया।

651

(अरुण कुमार त्यागी, जे.)

कृष्ण की मृत्यु के लिए रु. 2,00,000 और बिंदर की मृत्यु के लिए रु. 2,50,000 का मुआवजा और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागत और ब्याज के साथ मुआवजे की राशि का भुगतान करें।

(5) पीड़ित महसूस करते हुए, दावेदारों ने मुआवजे में वृद्धि के लिए वर्तमान अपील दायर की है।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा संबोधित तर्क सुने हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

(7) अपीलार्थियों के वकील श्री कर्तार सिंह मलिक ने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने मृतक की काल्पनिक आय का कोई आकलन नहीं किया है और उस पर गुणक लागू करके मृत्यु मुआवजे का आकलन नहीं किया है। न्यायाधिकरण ने पारंपरिक शीर्षों, अंतिम संस्कार के खर्च, संघ के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के तहत कोई राशि नहीं दी। न्यायाधिकरण ने बहुत कम दर पर ब्याज दिया। इसलिए, प्रदान की गई राशि को बढ़ाया जा सकता है और पुरस्कार में संशोधन किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने माननीय समन्वय के निर्णयों पर भरोसा रखा है।

इस अदालत की पीठ ने हिमांती मिश्रा और एक अन्य बनाम अजय कुमार और अन्य 1 और सुनीता देवी और एक अन्य बनाम विजय पाल और अन्य मामले मे इस न्यायालय की माननीय समन्वय पीठ के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील श्री नवीन नंदल और प्रतिवादीगण संख्या 3 के विद्वान वकील श्री ताजेंद्र के. जोशी ने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने दावेदारों को न्यायसंगत और पर्याप्त मुआवजा दिया है जो दी गई राशि में वृद्धि के हकदार नहीं हैं। अतः अपीलों को खारिज किया जा सकता है।

(9) न्यायाधिकरण न्यायसंगत और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए बाध्य है। जबकि मुआवजा एक उपहार या लाभ का स्रोत नहीं हो सकता है, वही हरियाणा राज्य बनाम जसबिर कौर 3 नहीं होना चाहिए। उपरोक्त मूल सिद्धांत के अनुरूप दावेदारों द्वारा दावा किए गए मुआवजे से अधिक दिया जा सकता है।

(देखें संजय वर्मा बनाम हरियाणा रोडवेज **4)**।

(10) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण को मृतक की अनुमानित आय का आकलन करने और आवेदन करके मुआवजे का आकलन करने की आवश्यकता थी

2 2018 (2) लॉ हेराल्ड 1659

3 2003 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 140

4 2014 (1) आरसीआर (सिविल) (एससी) 914

652

उसी से गुणा करें। न्यायाधिकरण ने काल्पनिक आय के आकलन के बिना एकमुश्त राशि प्रदान करके और उसके लिए गुणक लागू करके देय मुआवजे का निर्धारण करके भौतिक अनियमितता की, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। कृष्ण गोपाल बनाम लाला में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में हुई एक दुर्घटना में मरने वाले लगभग 10 वर्ष की आयु के बच्चे की अनुमानित आय का आकलन Rs.30,000/- प्रति वर्ष के रूप में किया। हिमांती मिश्रा के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की एक माननीय समन्वय पीठ ने 10 वर्ष की आयु के बच्चे की अनुमानित आय का आकलन प्रति वर्ष Rs.30,000/- के रूप में किया और 15 का गुणक लागू करके और प्रेम और स्नेह के लिए Rs.50,000/- की राशि जोड़कर रु.बीट

नाथ और एक अन्य बनाम गुलाब सिंह और अन्य एफ. ए. ओ. **159** मे **10.07.2017** को इस न्यायालय की एक माननीय समन्वय पीठ ने 15 वर्ष की आयु के बच्चे की अनुमानित आय का आकलन किया, जिसकी वर्ष 2012 में

हुई एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनीता देवी के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की एक माननीय समन्वय पीठ ने लगभग 4/5 वर्ष की आयु के बच्चे की अनुमानित आय का आकलन किया, जिसकी मृत्यु 16.04.2014 को हुई दुर्घटना में हुई थी, 50000/- रुपये और आवेदन के रूप में और 15 का गुणक लागू करके और पारंपरिक शीर्षों के तहत आईडी 15,000/- की राशि जोड़कर प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से लागत और ब्याज के साथ 7,56000 रुपये मुआवजा दिया गया.

(11) वर्तमान मामले में दुर्घटना वर्ष 2009 में हुई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतक कृष्ण और बिन्दर की अनुमानित आय का आकलन Rs.40,000/- प्रति वर्ष के रूप में की गई और इसमे 15 का गुणक लगाने पर दावेदारों को देय मृतक मृत्यु मुआवजे की अनुमानित वार्षिक ये रुपये 40000/-है जो 6,00,000 रुपये आती है ।अनुमानित आय के आधार पर मृत्यु मुआवजे के आकलन के मामलों में मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च, संघ के नुकसान और अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत कोई राशि नहीं दी।

संपत्ति का नुकसान।राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय

सेठी और अन्य, अपने फैसले के पैरा No.61 (viii) में 6, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पारंपरिक शीर्षों, अर्थात् संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च पर उचित आंकड़े क्रमशः Rs.15,000/-, Rs.40,000/- और Rs.15,000/- होने चाहिए।उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उपरोक्त राशि को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिए।

भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में मुआवजे के आकलन के लिए हर तीन साल में पारंपरिक शीर्षों पर 10 प्रतिशत की दर से आंकड़े बढ़ाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त अवलोकन के परिणामस्वरूप, पारंपरिक शीर्ष पर आंकड़े अतीत में उत्पन्न हुए मामलों में मुआवजे के आकलन के लिए हर तीन साल के लिए 10 प्रतिशत की दर से कम होने के लिए उत्तरदायी होंगे।मैग्मा जनरल इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहरू राम और अन्य के मामले मे

माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी भाषा में 'कंसोर्टियम' एक व्यापक शब्द है जिसमें पति पत्नी संघ , 'पेरेंटल कंसोर्टियम' और 'फिलियल कंसोर्टियम' शामिल हैं और मृतक के पिता और बहन को फिलियल कंसोर्टियम के नुकसान के लिए प्रत्येक को Rs.40,000/- का मुआवजा दिया जाता है।हालांकि, पीठ ने अपने फैसले के पैरा संख्या 8.7 में कहा कि संघ के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित 'संघ के नुकसान' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होगी।उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, मृतक के दावेदार-माता-पिता दोनों मामलों में संपत्ति के नुकसान के लिए क्रमशः समान शेयरों में Rs.28,000/-, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.10,500/- और Rs.10,500/- के मुआवजे के हकदार होंगे।

(13) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से पूरी राशि की प्राप्ति तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे अपर्याप्त होने के लिए चुनौती दी गई है और जो सवाल उठता है वह यह है कि ब्याज की उचित दर क्या होगी।में।

पुट्टम्मा और अन्य बनाम के. एल. नारायण रेड्डी और अन्य 8

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 60 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

‘‘अबाती बेजबरूआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और एक अन्य (2003) 3

एस. सी. सी. 148 ने देखा कि न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा ब्याज की अलग-अलग दर दी जा रही है।उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ब्याज की दर न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए और मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाई जा रही नीति, मामला कितने समय तक लंबित है, जीवन के आनंद की हानि आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।’’

7 2018 (4) आर. सी. आर (सिविल) 333

8 2014 (1) आर. सी. आर (सिविल) 443 654

(14) सुपे देई और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड और अन्य 9 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मोटर दुर्घटनाओं के दावों के मुआवजे के मामलों में 9

प्रतिशत प्रति वर्ष उचित ब्याज दर दी जाएगी। सुबे सिंह और एक अन्य

बनाम श्याम सिंह (मृत) और अन्य 6 प्रतिशत की ब्याज दर

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए वर्ष को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया था। उपरोक्त संदर्भित न्यायिक उदाहरणों में टिप्पणियों, प्रचलित ब्याज की वाणिज्यिक दर, सावधि जमा प्राप्तियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमत ब्याज दर और अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को संशोधित करके 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करना उचित होगा।

(15) उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि दावेदार कृष्ण की मृत्यु के कारण 6,49,000 रुपये के मुआवजे और बिन्दर की मृत्यु के कारण 6,49,000 रुपये के मुआवजे के भुगतान के हकदार है और याचिका दायर करने की तारीख से लेकर वसूली तक 9 प्रतिशत की दर से लागत और ब्याज का भुगतान करने के हकदार हैं। कृष्ण और बिन्दर की मृत्यु के कारण न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों को दिए गए रुपये 2,00,000-और रुपये 2,50,000-की राशि उपरोक्त गणना की गई राशि में से कटौती के लिए उत्तरदायी होगी। रुपये 4,49,000-और रुपये 3,99,000-की बढ़ी हुई राशि दावेदारों को समान शेयरों में देय होगी। दावेदारों को मुआवजे की राशि के वितरण के तरीके के बारे में न्यायाधिकरण के निर्देश बढ़े हुए मुआवजे के वितरण पर भी लागू होंगे।

(16) तदनुसार अपीलों को दिनांकित 18.03.2010 के पुरस्कार के उपरोक्त संशोधनों के संदर्भ में लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

तेजिंदरबीर सिंह

9 2009 (4) एस. सी. सी. 513

10 2018 (2) आर. सी. आर (सिविल) 131 (एससी)

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुरेन्द्र शर्मा

अनुवादक